9

संख्या सा-4-62/दस-96-604-82

प्रेषक,

श्री पी०के० मिश्र
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 1996

विषय : सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा-4-628/दस-604-82, दिनांक 1-4-82, संख्या सा-4-1647/दस-604/दस-82, दिनांक 30-8-92, संख्या सा-4-2583/दस-82-604-82, दिनांक 20-12-82 संख्या सा-4-572/दस-604-82, दिनांक 5-3-83 एवं संख्या सा-4-1632/दस-85-604-82, दिनांक 9-10-85 की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवकाश यात्रा सुविधा की व्यवस्था की ओर अधिक उदार बनाने के दृष्टिकोण से राज्यपाल महोदय ने इस शासनादेश को अनुलग्नक के अनुसार इस विषय पर विस्तृत अनुदेश निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। उपर्युक्त संदर्भित पूर्व निर्गत शासनादेश तदनुसार अतिक्रमित समझे जायेंगे।

2. संशोधित रूप में यह सुविधा इन आदेशों को निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

भवदीय,
पी०के० मिश्र
सचिव।

10

शासनादेश संख्या सा-4-62(1)/दस-96-604/82, दिनांक 18-3-96

उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति करने के सम्बन्ध में अनुदेश—

1. अवकाश यात्रा सुविधा का अभिप्राय.—इस सुविधा के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को अवकाश के दौरान भारत में स्थित किसी स्थान के भ्रमण हेतु जाने तथा वापंस आने के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं के लिए कतिपय शर्तों के अधीन यात्रा व्यय की आपूर्ति अनुमन्य होगी।

2. पात्रता का क्षेत्र.—अवकाश यात्रा सुविधा नियमित पूर्णकालिक सरकारी सेवकों को पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त कैलेण्डर वर्ष के आधार पर अनुमन्य होगी।

Scanned with OKEN Scanner

यह सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को भी अनुमन्य होगी जो सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, परन्तु जो वरिष्ठ अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के पदों पर जायेंगे उन्हें यह सुविधा नहीं उपलब्ध होगी। प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों को यह सुविधा उसी दशा में मिलेगी जब सम्बन्धित उपक्रम उसका पूरा व्यय वहन करने के लिए तैयार हों। यह सुविधा निम्नांकित को अनुमन्य होगी—

(1) ऐसे सरकारी सेवक जो राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में नहीं है।

(2) ऐसे सरकारी सेवक जिनके वेतन/भत्तों का भुगतान आकस्मिक व्यय (कन्टिजेन्सीज) से किया जाता है।

(3) वर्कचार्जड कर्मचारी।

(4) ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें राज्य सरकार के नियमों से भिन्न किन्हीं अन्य नियमों के अन्तर्गत पहले से ही अवकाश यात्रा सुविधा अथवा इसी प्रकृति की कोई अन्य सुविधा ग्राह्य है।

3. सुविधा की आवृत्ति.—यह सुविधा प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा अवधि में एक बार अनुमन्य होगी। इस प्रकार 5 वर्ष से 10 वर्ष की सेवावधि में प्रथम बार, 11 से 20 वर्ष की सेवावधि में दूसरी बार, 21 वर्ष से 30 वर्ष की सेवावधि में तीसरी बार तथा 30 वर्ष से अधिक की सेवा होने की स्थिति में चौथी बार अनुमन्य होगी। प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्व में अप्रयुक्त अवकाश यात्रा सुविधा के आधार पर कोई अतिरिक्त अनुमन्यता देय नहीं होगी।

4. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड (परिचय-पत्र) धारकों को एक अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता.—ग्रीन कार्ड धारकों को उनके सम्पूर्ण सेवाकाल में एक अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। ग्रीनकार्ड धारक अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति उक्त सुविधा सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड के आधार पर अतिरिक्त सुविधा वह किसी भी एक अवसर पर अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त करने के चार वर्ष पश्चात् किसी भी समय, किन्तु केवल एक बार सुविधानुसार उपभोग कर सकते हैं।

5. वरीयता तथा 20 प्रतिशत का प्रतिबन्ध.—यह सुविधा ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जायेगी अर्थात् ज्येष्ठ सरकारी सेवक को यह सुविधा पहले अनुमन्य होगी और उससे कनिष्ठ सरकारी सेवक की यह सुविधा उसके बाद ग्राह्य होगी।

किसी कैलेण्डर वर्ष में सरकारी सेवकों के किसी संवर्ग विशेष में इस सुविधा के लिये पात्र सरकारी सेवकों में से 20% से अधिक सरकारी सेवकों को यह सुविधा स्वीकृत नहीं की जायेगी, जिसे संवर्ग विशेष के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6. अधिकतम दूरी.—अवकाश यात्रा सुविधा भारत वर्ष में किसी भी समय पर आने-जाने के लिये न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अनुमन्य होगी। गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसके परिवार द्वारा रास्ते में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रुकने अथवा अवस्थान किये जाने में आपत्ति नहीं होगी, परन्तु किराया निर्धारित दूरी के लिये सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

7. परिवार की परिभाषा.—यह सुविधा सम्बन्धित सरकारी सेवक को सम्मिलित करते हुए परिवार के केवल चार सदस्यों तक ही सीमित रहेगी। इस सुविधा के प्रयोजनों के लिये परिवार की वही परिभाषा मान्य होगी जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-6 में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दी गयी है जिसका उद्धरण निम्न प्रकार है—

Family means a government servants wife or husband, as the case may be, legitimate children and step-children residing with and wholly dependent upon the government servant and it includes, in addition, parents, sisters and minor brothers, if residing with and wholly dependent upon the government servant, but does not include more than one wife for the purpose of these rules.

Notes—(1) An adopted child shall be considered to be a legitimate child if, under the personal law of the government servant adoption is legally recognised as conferring on it the status of a natural child.

(2) A government servant's legitimate daughters, step-daughters and sisters whose gauna or rukhsat has been performed, shall not be regarded as wholly deponent upon the government servant.

8. अवकाश की प्रकृति एवं नकदीकरण की अनुमन्यता.—इस सुविधा का उपभोग करने के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा। जिस कैलेण्डर वर्ष में इस सुविधा का उपभोग कर्मचारी द्वारा किया जायेगा उस कैलेण्डर वर्ष में उसे अर्जित अवकाश का नकदीकरण आधी अवधि के लिये अर्थात् यथास्थिति 15 दिन अथवा 8 दिन के लिए अनुमन्य होगा। नकदीकरण की राशि का आगणन निम्न सूत्र के अनुसार किया जायेगा—

$$\frac{\text{अभ्यर्पण दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते}}{30} \times \text{अभ्यर्पित दिनों की संख्या}$$

9. सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिये अधिकृत श्रेणी.—सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों की रेल की उस श्रेणी में यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी जिसके लिये सरकारी सेवा यात्रा भत्ता नियमों के अधीन दौरे पर यात्रा करने के लिये सामान्यतः अधिकृत हैं।

10. वातानुकूलित कोच तथा वायुयान से यात्रा.—इस सुविधा के अन्तर्गत रेल के वातानुकूलित कोच अथवा वायुयान से यात्रा नहीं की जा सकेगी।

11. उच्चतर/निम्नतर श्रेणी में यात्रा.—यदि रेल यात्रा अधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में की जाती है तो सरकारी सेवक को अधिकृत श्रेणी का किराया अनुमन्य होगा। यदि यात्रा अधिकृत श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में की जाती है तो उस स्थिति में रेल की निम्नतर श्रेणी का वास्तविक किराया अनुमन्य होगा।

12. आनुषंगिक भत्ता तथा दैनिक भत्ता वर्जित.—इस सुविधा के अन्तर्गत यात्रा पर कोई आनुषंगिक भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगी।

13. रेल मार्ग से सम्बद्ध स्थानों के बीच सड़क यात्रा.—रेल मार्ग से जुड़े स्थानों के बीच सड़क से यात्रा करने पर सरकारी सेवक को रेल की अधिकृत श्रेणी का किराया (यदि यात्रा वास्तव में रेल से की गई होती) अथवा सरकारी सेवक द्वारा सड़क यात्रा पर किया गया वास्तविक व्यय, इन दोनों में जो भी कम हो, ग्राह्य होगा।

14. ऐसे स्थानों के बीच यात्रा जो रेल मार्ग से सम्बद्ध नहीं है.—ऐसे स्थान जो कि रेल मार्ग से सम्बद्ध नहीं है यदि सरकारी सेवक द्वारा उन स्थानों की यात्रा स्टीमर अथवा जलयान/बस द्वारा की जाती है तो ऐसी स्थिति में उक्त यात्रा हेतु रेल की प्रथम श्रेणी के लिए अधिकृत सरकारी सेवकों को स्टीमर अथवा जलयान के प्रथम श्रेणी/केबिन/डीलक्स बस कोच का किराया अनुमन्य होगा तथा अन्य कर्मचारियों को स्टीमर अथवा जलयान/बस की साधारण श्रेणी का किराया अनुमन्य होगा।

15. चार्टर्ड बस अथवा स्पेशल यात्रा रेल गाड़ी से यात्रा.—यदि यात्रा चार्टर्ड बस अथवा स्पेशल यात्रा रेल गाड़ी से की जाती है, तो सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों को रेल की अधिकृत श्रेणी का किराया (यदि यात्रा वास्तव में रेल द्वारा की गयी होती) अथवा चार्टर्ड बस अथवा स्पेशल यात्रा रेल गाड़ी का किराया, इन दोनों में जो भी कम हो, ग्राह्य होगा।

16. सड़क मील भत्ता वर्जित.—इस सुविधा के अन्तर्गत सड़क यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

17. यदि पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवक हों.—यदि पति तथा पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों तथा पति और पत्नी दोनों की उक्त सुविधा अनुमन्य हो तो उस स्थिति में यह सुविधा पति अथवा पत्नी में से किसी एक को ग्राह्य होगी।

Scanned with OKEN Scanner

18. दावे का व्यपगत हो जाना.—यदि सरकारी सेवक इस सुविधा के सम्बन्ध में अपना दावा वास्तविक यात्रा के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका दावा व्यपगत हो जायेगा।

19. अग्रिम की स्वीकृति.—(1) इस सुविधा का उपभोग करने के लिए राजकीय सेवकों को अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। अग्रिम की अधिक धनराशि दोनों ओर की यात्रा के लिए व्यय की अनुमानित धनराशि जिसकी राज्य सरकार की प्रतिपूर्ति करनी होगी, के 4/5 भाग तक सीमित होगी।

(2) अग्रिम दोनों ओर यात्रा के लिए यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व इस प्रतिबन्ध के साथ आहरित किया जा सकता है कि राजकीय सेवक द्वारा लिये गये अवकाश की अवधि 3 माह या 90 दिन से अधिक न हो। यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिन से अधिक होगी तो केवल गन्तव्य स्थान तक जाने के लिए ही अग्रिम आहरित किया जा सकेगा।

(3) यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिन से अधिक हो जाती है और अग्रिम दोनों ओर की यात्रा के लिए पहले ही आहरित किया जा चुका है तो सरकारी सेवक को आधी धनराशि तत्काल वापस करनी होगी।

(4) अस्थायी राजकीय सेवकों को अग्रिम एक स्थायी राजकीय सेवक की जमानत देने पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

(5) अग्रिम की स्वीकृति से 30 दिन के अन्दर यदि यात्रा प्रारम्भ नहीं की जाती है तो अग्रिम की पूर्ण धनराशि एक मुश्त वापस की जायेगी।

(6) आहरित अग्रिम के समायोजन हेतु राजकीय सेवक द्वारा अपना दावा वापसी यात्रा पूर्ण होने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा और चालू वित्तीय वर्ष के अन्दर इसका समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस योजना के अन्तर्गत आहरित अग्रिम का लेखा यात्रा पूर्ण होने के बाद उसी प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा जिस प्रकार से राजकीय सेवक द्वारा सरकारी कार्य से यात्रा के लिए आहरित अग्रिम के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाता है।

20. दावा प्रस्तुत करने की विधि.—इस सुविधा के सम्बन्ध में दावे की प्रतिपुर्ति का बिल यात्रा भत्ता बिल के प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा और बिल के शीर्ष पर "अवकाश यात्रा सुविधा" अंकित कर दिया जायेगा तथा सरकारी सेवक द्वारा इस आशय का सामान्य प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उसके द्वारा वास्तव में यात्राएं पूर्ण कर ली गयी हैं और यात्राएं उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में नहीं की गयी है जिसके प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है।

21. सुविधा का अभिलेख.—सरकारी सेवकों द्वारा इस सुविधा का उपभोग किये जाने पर उनकी सेवा पुस्तिकाओं/सेवा पंजियों में इस आशय की एक प्रविष्टि अंकित कर दी जानी चाहिये कि उनके द्वारा इस सुविधा का उपभोग कब किया गया है। सेवा पुस्तिका/सेवा पंजी के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा यह कार्य सम्पादित किया जायेगा।

22. अनिवार्य साक्ष्य.—सरकारी सेवक द्वारा यात्रा करने के पूर्व अपने नियंत्रक अधिकारी को उसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिये। सरकारी सेवक द्वारा यात्रा वास्तव में सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण जैसे टिकट नम्बर आदि प्रस्तुत किये जाने चाहिए। उपयुक्त मामलों में गुणावगुण के आधार पर नियंत्रक अधिकारी द्वारा यात्रा की पूर्व सूचना दिये जाने तथा टिकट नम्बर आदि प्रस्तुत किये जाने से छूट प्रदान की जा सकती है। यदि नियंत्रक अधिकारी दावे की वास्तविकता तथा उसके औचित्य से एवं यात्रा वास्तविक रूप से किये जाने तक तथ्य से अन्यथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट हों।

23. गन्तव्य स्थान की पूर्व घोषणा.—इस सुविधा के अन्तर्गत गन्तव्य स्थान की घोषणा पहले से की जानी चाहिये। यदि बाद में पूर्व घोषित गन्तव्य स्थान से भिन्न किसी स्थान के भ्रमण हेतु सरकारी सेवक द्वारा निश्चय किया जाता है तो आवश्यक परिवर्तन नियंत्रक अधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।

24. नियंत्रक अधिकारी.—इस सुविधा के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी का तात्पर्य उक्त प्राधिकारी से है जो यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी सेवक के यात्रा भत्ता बिलों के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी घोषित हैं।

25. निर्धारित प्रमाण-पत्र.—यह सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से कि अवकाश यात्रा सुविधा की समस्त शर्तें संतुष्ट हो गयी हैं, सरकारी सेवक तथा नियंत्रक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अवकाश यात्रा सुविधा के बिल के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

(क) सरकारी सेवक द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र.—(1) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने तथा मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व घोषित स्थान की यात्रा वास्तव में कर ली है और रेल की उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में यात्रा नहीं की है जिसके किराये की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) प्रमाणित किया जाता हैं कि मैंने अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध मे इससे पूर्व अपने तथा अपने परिवार के सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

(3) मेरी पत्नी/मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं/कार्यरत हैं और उन्होंने स्वयं अपने तथा परिवार के लिये पृथक से अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया है।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति, जिसके लिये अवकाश यात्रा सुविधा का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है.....(भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अन्डर टेकिंग/नियम/स्वशासी संस्था आदि का नाम) में कार्यरत हैं जहां अवकाश यात्रा की सुविधा अनुमन्य है, परन्तु उनके द्वारा अपने सेवायोजक की इस सम्बन्ध में न तो कोई दावा प्रस्तुत किया गया है और न प्रस्तुत किया जायेगा।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर एवं पदनाम

(ख) नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र.—(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....के अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत बहिर्गामी यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष या उससे अधिक की अनवरत सेवा पूर्ण कर ली है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टियां श्री/श्रीमती/कु०.....की सेवा पुस्तिका/पंजी में कर दी गयी है।

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

26. लेखा शीर्षक.—अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाला व्यय (देय अग्रिम सहित) मानक मद "वेतन" के नामे डाला जाएगा।

11

संख्या सा-4-944/दस-97

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन
सचिव, वित्त एवं वेतन आयोग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 *[लखनऊ : दिनांक 31 दिसम्बर, 1997*

विषय : यात्रा भत्ता/अवकाश यात्रा सुविधा एवं अन्य प्रयोजनों हेतु श्रेणी/दरों की अनुमन्यता।

महोदय,

वेतन समिति उ० प्र० (1977) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप शासन को यह प्रश्न संदर्भित हुआ है कि पुनरीक्षित वेतनमानों में यात्रा भत्ता,

Scanned with OKEN Scanner

वकाश यात्रा सुविधा एवं अन्य प्रयोजनों हेतु अधिकृत श्रेणी/दरों का निर्धारण किस प्रकार किया जाये।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रयोजनों हेतु पुनरीक्षित दरों का निर्धारण वेतन समिति के विचाराधीन है, अतः जब तक वेतन समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक यात्रा भत्ता/अवकाश यात्रा सुविधा एवं अन्य प्रयोजनो हेतु पूर्व व्यवस्थानुसार ही श्रेणी की अनुमन्यता एवं दरों का निर्धारण किया जायेगा।

भवदीय,
आलोक रंजन
सचिव, वित्त एवं वेतन आयोग।

12

संख्या-सा-4-179/दस-98-604-82 टी०सी०

प्रेषक,
आलोक रंजन
सचिव, वित्त (वे० आ०)
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 *[लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 1998*

विषय : सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या सा-4-62/दस-96-604-82, दिनांक 18 मार्च, 1996 के अनुलग्नक के प्रस्तर-26 की व्यवस्थानुसार अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाला व्यय (देय अग्रिम सहित) मानक मद, 'वेतन' के नामे डाला जाता है।

2. उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानक मद '01-वेतन' के समक्ष वेतन के अतिरिक्त बोनस, अवकाश यात्रा सुविधा एवं अवकाश के नकदीकरण का व्यय प्रदर्शित किया जाता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1998-99 के संगत अनुदान के अन्तर्गत अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाले व्यय को मानक मद '01-वेतन' के स्थान पर मानक मद '01-यात्रा व्यय' के समक्ष प्रदर्शित किया जाये।

3. उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या सा-4-62/दस-96-604-82, दिनांक 18 मार्च, 1996 के अनुलग्नक का प्रस्तर-26 लेखा शीर्षक तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
आलोक रंजन
सचिव, वित्त (वे०आ०)

13

संख्या-सा-4-161/दस-98-604/82

प्रेषक,
श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 *[लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 1998*

विषय : सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या सा-4-62/दस-96-604/82, दिनांक 18 मार्च, 1996

द्वारा विस्तृत अनुदेश निर्गत किये गये थे। उक्त सुविधा के सम्बन्ध में शासन को कतिपय प्रश्न संदर्भित हुए हैं, जिनके सम्बन्ध में निम्नवत् स्पष्टीकरण जारी किये जा रहे हैं—

उठाये गये प्रश्न	स्पष्टीकरण
1	2	3
(1)	अवकाश यात्रा निजी कार/बस से अनुमन्य है अथवा नही?	अवकाश यात्रा सुविधा निजी कार (जो कि स्वयं की है) या उधार अथवा किराये पर ली गई है/अथवा चार्टर्ड बस, वैन अथवा अन्य ऐसे वाहन से अनुन्य नहीं है, जो कि निजी स्वामित्व के हों अथवा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हों, किन्तु ऐसी परिवहन सेवायें जो कि सार्वजनकि क्षेत्र के पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन निगम या अन्य राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संचालित की जाती हैं, तो ऐसे वाहनों से यात्रा की जा सकती है। अवकाश यात्रा निजी बस से उसी स्थिति में अनुमन्य होगी, जबकि ऐसे वाहन नियमित सेवा के रूप में निश्चित अन्तराल पर निर्धारित किराये पर एक स्थान से दूसरे स्थान हेतु राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अनुमोदन से संचालित हों।
(2)	कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित का अभिप्राय क्या है?	उक्त सन्दर्भ में परिवार की वही परिभाषा मान्य है जो कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-6 में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दी गयी है, किन्तु परिवार के अन्तर्गत सम्मिलित किसी ऐसे सदस्य को जो भले ही कर्मचारी के साथ रह रहा हो, जिसकी सभी स्रोतों से मिलाकर, कुल आय रुपये 1500/- प्रतिमाह से अधिक है, कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जायेगा तथा इस स्थिति में परिवार के उक्त सदस्य को अवकाश यात्रा अनुमन्य नहीं होगी।
(3)	राज्य कर्मचारी के (यथास्थिति) पति/पत्नी रेलवे कर्मचारी हों तो क्या राज्य कर्मचारी को अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी?	चूँकि रेलवे कर्मचारियों को भारत के किसी भी भू-भाग पर रेल द्वारा जाने-आने हेतु निःशुल्क रेलवे पास उपलब्ध कराये जाते हैं, और अन्य राज्य कर्मचारियों की भाँति ऐसे राज्य कर्मचारियों को जिनके पति अथवा पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) रेलवे में कार्यरत हैं अवकाश द्वारा सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
(4)	कर्मचारी द्वारा अवकाश यात्रा सम्बन्धी कपटपूर्ण दावा (Fraudulent Claims) प्रस्तुत करने की स्थिति में उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही वांछित होगी?	यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी के विरुद्ध कपटपूर्ण दावा प्रस्तुत करने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाता है तो इस स्थिति में निम्न प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित होगी—

Scanned with OKEN Scanner

उठाये गये प्रश्न	स्पष्टीकरण
1	2
	(क) सम्बन्धित कार्मिक अनुशासनिक कार्यवाही के पूर्ण होने तक अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं कर सकेगा। (ख) यदि अनुशासनिक कार्यवाही के पूर्ण होने पर सम्बन्धित कर्मचारी किसी दण्ड का भागी होता है तो उस स्थिति में पारित दण्ड के अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा भविष्य के लिए भी समाप्त मानी जायेगी तथा इस स्थिति में नियंत्रक अधिकारी को सम्पूर्ण तथ्यों का लिखित रूप में उल्लेख करना भी आवश्यक होगा। (ग) यदि कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही के आधार पर पूर्णतः दोषमुक्त पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे सामान्य रूप से अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा के अतिरिक्त पूर्व में रोकी गई अवकाश यात्रा सुविधा भी अनुमन्य होगी सम्बन्धित कर्मचारी को इस स्थिति में इस सुविधा का उपभोग अधिवर्षता की आयु पूर्ण होने से पूर्व करना होगा।
(5) अवकाश यात्रा सुविधा सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या सा-4-62/दस-96-604/82, दिनांक 18 मार्च, 1996 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में स्वीकृत अग्रिम धनराशि की एकमुश्त वसूली के अतिरिक्त क्या दण्ड स्वरूप ब्याज की वसूली भी की जाएगी, यदि हाँ तो किस दर से?	यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अवकाश यात्रा एवं अग्रिम स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेशां का अनुपालन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में अग्रिम धनराशि की एकमूश्त वसूली के साथ ही स्वीकृत अग्रिम पर सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दर के अनुसार ब्याज के साथ ही दण्ड स्वरूप 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की वसूली किया जाना भी आवश्यक होगा।
(6) सम्पादित यात्रा के सम्बन्ध में अनिवार्य साक्ष्य के रूप में टिकट नम्बर/रसीद आदि उपलब्ध कराना अनिवार्य है अथवा नहीं?	अवकाश यात्रा सुविधा सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 1996 के अनुलग्नक के प्रस्तर-22 में सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की गई है कि वह यात्रा वास्तव में सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण जैसे टिकट नम्बर आदि प्रस्तुत करे। चूँकि नियंत्रक अधिकारी के समक्ष दावे की वास्तविकता तथा उसके औचित्य एवं यात्रा वास्तविक रूप से सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं कि वे उसके आधार पर संतुष्ट हो लें, अतः टिकट नम्बर/रसीद को अनिवार्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना बाध्यकारी है।

2 नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकार का यह दायित्व होगा कि वे सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्पादित की गयी यात्रा तथा इससे सम्बन्धित दावों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों से पूर्णतः संतुष्ट हो लें। गलत दावा प्रस्तुत करने अथवा गलत दावों के भुगतान किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी के साथ ही नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी भी समान रूप से उत्तरदीय होंगे।

भवदीय,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी
प्रमुख सचिव।

14

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या-सा-4-395/दस-99-600-99

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 *[लखनऊ : दिनांक 11 जून, 1999]*

कार्यालय ज्ञाप

विषय : यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 1998 के सातवें प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-1307/दस-88-600/88, दिनांक 23 सितम्बर, 1988 तथा इसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1. यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी.—यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक अब नये वेतनमानों में वायुयान/रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत होंगे—

क्र० संख्या	वेतन सीमा	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
1	2	3
1.	रुपये 25000 या इससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले।	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास
2.	रुपये 18400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	वायुयान अथवा रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास।
3.	रुपये 16100 से 18399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 कि० मी० से अधिक की यात्रा पर वायुयान अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास।
4.	रुपये 8000 से 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी) 2-टियर अथवा शताब्दी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयर कार।
5.	रुपये 5000 से 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच 3-टियर/ए०सी० चेयरकार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)।
6.	रुपये 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	रेल की द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)।

Scanned with OKEN Scanner

2. आनुषंगिक व्यय.—(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(1) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषंगिक व्यय नये वेतनमान में निम्न प्रकार अनुमन्य होगा—

क्र० संख्या	वेतन सीमा	आनुषंगिक व्यय की दर
1	2	3
1.	रुपये 8000 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	11.0 पैसे प्रति कि० मी०
2.	रुपये 5000 से रुपये 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	8.0 पैसे प्रति कि० मी०
3.	रुपये 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले।	5.0 पैसे प्रति कि० मी०

(II) हवाई यात्रा के दौरान आनुषंगिक व्यय की दरें रुपये 30 प्रति यात्रा की दर से अनुमन्य होगा।

3. दैनिक भत्ता.—(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23 (सौ) (1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित पुनरीक्षित दरें लागू होगी—

सरकारी सेवक का वर्ग	"क" वर्ग के नगरों के लिए दरें जिनमें नगर-पालिकायें तथा कन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी—कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नैनीताल, मंसूरी, देहरादून और गाजियाबाद।	"ख" वर्ग के नगरों के लिये दरें जिनमें नगर-पालिकायें तथा कैन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहां कहीं विद्यमान हों सम्मिलित होगी—मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, हरिद्वार, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद।	साधारण दर (स्तम्भ 1, 2 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिये)
			(धनराशि रुपये में)
1	2	3	4
1. रुपये 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	155.00	125.00	100.00
2. रुपयें 8000 से रुपये 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	140.00	110.00	90.00
3. रुपये 6500 से रुपये 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	120.00	95.00	80.00
4. रुपये 4100 से रुपये 6499 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	100.00	80.00	65.00
5. रुपये 4100 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले।	65.00	50.00	40.00

उपरोक्त तालिका के "क" वर्ग के नगरों में रुपये 8000 या इससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को जिन्हें अन्य संस्थान अथवा होटल में ठहरना पड़े पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार विशेष दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा—

(रुपये में)

क्र० सं०	वेतन सीमा	विशेष दैनिक भत्ते की दरें
1	2	3
1.	रुपयें 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	400.00
2.	रुपये 8000 से रुपये 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	300.00

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थानों पर सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा जैसा कि उन स्थानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल या अन्य संस्थान में जहां ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेड्यूल्ड टैरिफ पर उपलब्ध है, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष दर पर दैनिक भत्ता अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो देय होगा। वास्तविक व्यय का तात्पर्य ठहरने के लिये दिये गये किराये से है। भोजन पर व्यय इसमें सम्मिलित नहीं होगा। वास्तविक व्यय की पुष्टि में वाउचर प्रस्तुत करना होगा।

(ग) प्रदेश के बाहर स्थानीय यात्राओं पर वास्तविक व्यय तथा निःशुल्क आवास अथवा निःशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते पर वर्तमान में जो प्रतिबन्ध हैं वे यथावत् रहेंगे।

4. सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता.—सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की गई यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23 (बी) (2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को नये वेतनमानों में सड़क मील भत्ता अब निम्न प्रकार देय होगा।

(I) रुपये 10,000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक.—(क) मोटरकार, मोटर ट्रक, मोटर कैरियर या जीप कार से प्रतिमाह की गई सड़क यात्राओं के लिए—

		रुपये प्रति कि० मी०	
		पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चलित वाहन
(1)	प्रथम 500 कि० मी० तक तय की गई दूरी के लिये	4.50	3.50
(2)	500 कि० मी० से अधिक परन्तु 1200 कि० मी० तक तय की गई दूरी के लिये।	3.25	2.75
(3)	1200 कि० मी० से अधिक तय की गई दूरी के लिये	शून्य	शून्य
	(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साइकिल/स्कूटर इत्यादि से की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रुपये 2.00 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 400 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।	

Scanned with OKEN Scanner

	रुपये प्रति कि० मी०	
	पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चलित वाहन
(ग) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से /पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 0.60 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि इस मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 120 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।	
(II) रु० 10,000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले सरकारी सेवक—		
(क) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 2.00 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 400 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।	
(ख) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से या पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 0.60 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 120 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।	

(III) यात्राओं पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन के बीच की जाने वाले अल्प दूरी की यात्राओं के लिये समस्त सरकारी सेवकों की रु० 1.75 प्रति कि० मी० के स्थान पर अब रु० 4.00 प्रति कि० मी० की दर से सड़क मील भत्ता ग्राह्य होगा। उक्त अल्प दूरियों की गणना पूर्ववत् वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-14 सपठित परिशिष्ट-5 के आधार पर ही की जायेगी।

जनहित में की जाने वाली यात्राओं के सम्बन्ध में शासकीय सेवकों से यह भी अपेक्षित है कि वे टैक्सी इत्यादि के स्थान पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट (रेलगाड़ी या बस) का यथासम्भव अधिकाधिक प्रयोग करें।

स्थानान्तरण की दशा में अन्य सुविधायें—

(अ) घरेलू सामान की ढुलाई.—सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-42 (2) (1) (111) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को उनके नये वेतनमानों में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब निम्न सीमा के अधीन की जायेगी—

यदि यात्रा परिवार सहित की गई हो—

	सरकारी सेवक/वेतन सीमा	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये अधिकतम सीमा
1.	रु० 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले	6000 कि० ग्रा० या 4 पहियों का एक वैगन
2.	रु० 8000 से रु० 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	6000 कि० ग्रा० या 4 पहियों का एक वैगन
3.	रु० 6500 से रु० 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	3000 कि० ग्रा०
4.	रु० 4100 से रु० 6499 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	2500 कि० ग्रा०
5.	रु० 4100 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	1250 कि० ग्रा०

यदि यात्रा स्वयं अकेले की गई हो—

यदि स्थानान्तरण के अवसर पर सरकारी सेवक ने स्वयं ही अकेले यात्रा की हो तो उस स्थिति में उल्लिखित भार के 2/3 भाग तक की अधिकतम सीमा तक के व्यक्तिगत सामान की ढुलाई का व्यय ही देय होगा।

(ब) एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट).—कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट प्रदेश के शासकीय सेवकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में देय होगा तथा इसमें अब तक मिल रहे पैकिंग भत्ता, आवास से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के लिए सड़क मील भत्ता एवं सरकारी सेवकों तथा उसके परिवार के सदस्यों को स्थानान्तरण पर यात्रा की दशा में मिलने वाले आनुषंगिक व्यय को समाहित माना जायेगा अर्थात् कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट अनुमन्य होने पर अब उपरोक्त भत्ते देय नहीं होंगे।

एक जिले से दूसरे जिले के स्थानान्तरण होने की दशा में कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट के रूप में सम्बन्धित सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वेतन अधिकतम रु० 10,000/- की सीमा के अधीन धनराशि अनुमन्य होगी।

जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण की स्थिति में कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट के स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्य होगा—

क्रम-संख्या	वेतन सीमा	पैकिंग भत्ते की दर (रु० में)
1.	रु० 6500 प्रतिमाह या इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले	500.00
2.	रु० 6499 प्रतिमाह तक मूल वेतन पाने वाले	250.00

स्थानान्तरण यात्रा सम्बन्धी व्यय को सीमित रखने के उद्देश्य से पत्रावलियों के माध्यम से स्थानान्तरण के जो प्रस्ताव उच्चाधिकारियों/मा० मंत्रिगणों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हों, उनमें यह अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये कि चालू वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के रूप में विभाग में कुल कितनी धनराशि उक्त मद पर देय हो चुकी है और कितनी धनराशि की देयता सृजित हो रही है।

2. ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुए हैं/किये गये हैं अथवा जो वर्तमान वेतनमान बनाये रखने का विकल्प प्रस्तुत करते हैं, यात्रा भत्ता की उपरोक्त विभिन्न संशोधित पुनरीक्षित दरों की अनुमन्यता के लिए उनके वेतन स्तर के निर्धारण हेतु "वेतन" का तात्पर्य मूल वेतन के अतिरिक्त दिनांक 1.1.1996 को शासनादेश संख्या वे० आ०-1-297/दस-48 (एम)/88, दिनांक 21.5.96 के अनुसार देय मंहगाई भत्ता और शासनादेश संख्या-वे०आ०-1-2043/दस-93-39(एम)/93, दिनांक 14-10-1993 तथा शासनादेश संख्या वे०आ०-1-624/दस-39(एम)/93/टी०सी०, दिनांक 16.8.1995 के अनुसार देय अन्तरिम सहायता क्रमशः 100 रुपये प्रतिमाह की प्रथम किस्त तथा वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम 100 रुपये प्रतिमाह की द्वितीय किश्त का योग होगा।

3. यह आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे अर्थात् उन सभी यात्राओं के सम्बन्ध में लागू होंगे जो कि उक्त तिथि को या उसके पश्चात् प्रारम्भ हुई हों परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका होगा उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

4. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

मु० हलीम खां
सचिव।

15

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या-सा-4-554/दस-99-600/99

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 *[लखनऊ : दिनांक 30 जुलाई, 1999]*

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ज्ञाप

विषय : यात्रा भत्ता की गणना हेतु वेतन का अभिप्राय।

यात्रा भत्ता विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-395/दस-99-600/99, दिनांक 11 जून, 1999 के संदर्भ में यह प्रश्न उठाया गया है कि यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ "वेतन" का अभिप्राय क्या है? इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु वेतन का अभिप्राय निम्नवत् होगा—

1. "वेतन का तात्पर्य दिनांक 1-1-96 से संशोधित वेतनमान मे उस मूल वेतन से है जो वित्त (पदमापदण्ड निर्धारण) अनुभाग के शासनादेश संख्या प० मा० नि०- 357/दस-21 (एम)/87, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के अनुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त यात्रा की तिथि को अनुमन्य हो, किन्तु नये वेतन में ही नियुक्ति होने की दशा में इसका तात्पर्य यात्रा की तिथि को अनुमन्य मूल वेतन से ही होगा अर्थात् उस वेतन से होगा जो मूल नियम-9 (21) (1) में अनुमन्य हो।"
2. उक्त व्यवस्था को कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-4-395/दस-99-600/99, दिनांक 11 जून, 1999 के प्रस्तर-2 के प्रारम्भ में सम्मिलित माना जायेगा।
3. कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 11-6-99 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

मु० हलीम खां
सचिव।

16

संख्या जी-1-889/दस-99-205-99

प्रेषक,
श्री वी० के० शर्मा
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 *[लखनऊ : दिनांक 6 दिसम्बर, 1999*

विषय : मकान किराया भत्ता की संशोधित दरों की अनुमन्यता।

महोदय,

वेतन समिति 1998 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या जी-1-373/दस-99-205-99, दिनांक 11 जून, 1999 में इंगित तालिकाओं के अनुसार नगरों/नगरीय क्षेत्रों को "ए", "बी-1", "बी-2", "सी" एवं अवर्गीकृत श्रेणी में विभाजित करते हुए वहाँ कार्यरत ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जो अधिष्ठान आय-व्ययक से दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू नवीन वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहें हैं, को विभिन्न वेतन सीमाओं में संशोधित मकान किराया भत्ता दिनांक 1 जून, 1999 से अनुमन्य कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तरांचल स्थित हिल स्टेशन अल्मोड़ा, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, मंसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी एवं पौड़ी गढ़वाल शहरी क्षेत्रों को "सी" श्रेणी में, नोएडा क्षेत्र (जनपद गौतमबुद्ध नगर) एवं गाजियाबाद शहरी क्षेत्रों को "ए" श्रेणी में रखते हुए उपर्युक्त अंकित शासनादेश संख्या जी-1-373/दस-99-205-99, दिनांक 11 जून, 1999 में इंगित मकान किराया भत्ता की धनराशि से संबंधित तालिका के अनुसार मकान किराया भत्ता की संशोधित दरें अनुमन्य कराने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उपरोक्त व्यवस्था सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के उन शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी लागू होंगी जिन्हें पूर्व में मकान किराया भत्ता अनुमन्य था।

4. शारानादेश संख्या जी-1-373/दस-99-200-99, दिनांक 11 जून, 1999 तथा शासनादेश संख्या जी-1-526/दस-295-99, दिनांक 22 जुलाई, 1999 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्तें जो उक्त शारानादेश में इंगित हैं, यथावत रहेंगी।
5. उपरोक्त आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,
वी० के० शर्मा
सचिव।

17

संख्या जी-1-239/दस-2000-205-99

प्रेषक,
श्री विजय कुमार शर्मा
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 *[लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2000*

विषय : मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता।

महोदय,

शासनादेश संख्या जी-1-1795/दस-81, 209-81, दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 में यह प्राविधान है कि मकान किराया भत्ता संबंधित नगर की अर्हकारी सीमा के बाहर 8 किलोमीटर की दूरी तक स्थित कार्यालयों में कार्यरत सरकारी सेवकों को देय होगा चाहे संबंधित सरकारी सेवक कही भी निवास करता हो। 8 किलोमीटर की दूरी सबसे कम दूरी वाले मार्ग से नापी जायेगी और उसकी पुष्टि पूर्व की भाँति जिलाधिकारी से कराना आवश्यक होगी। शासनादेश संख्या जी-1-1887/दस-209-81, दिनांक 29 अक्टूबर, 1984 में यह भी व्यवस्था की गयी थी कि मकान किराया भत्ता प्रख्यापित नगरपालिकाओं से संलग्न स्थानीय निकायों की पूरी सीमा में पूर्ववत मिलता रहेगा, किन्तु उक्त संलग्न स्थानीय निकायों के बाहर स्थित कार्यालयों से दूरी मकान किराया भत्ता के लिये मूल नगरपालिका की सीमा से ही नापी जायेगी, संलग्न स्थानीय निकाय की सीमा से नहीं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त व्यवस्था शासनादेश संख्या : जी-1-373/दस-99-205-99, दिनांक 11 जून, 1999 एवं शासनादेश संख्या : जी-1-526/दस-205-99, दिनांक 22 जुलाई, 1999 द्वारा संशोधित मकान किराया भत्ता की दरों के संदर्भ में भी लागू रहेगी।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा
सचिव।

18

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या-सा-4-578/दस-2000

कार्यालय ज्ञाप

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 *[लखनऊ : दिनांक 4 अगस्त, 2000*

विषय : वेतन समिति उ० प्र० 1997 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप यात्रा भत्ता की दरों के पुनरीक्षण के पश्चात् उठायी गई शंकाओं/प्रश्नों के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति उ० प्र० 1997 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण वित्त

Scanned with OKEN Scanner

(सामान्य) अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-395/दस-99-600-99, दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा किया गया है। इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के पूर्व से कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-73/दस-89-603/88, दिनांक 4 मार्च, 1989 द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी सरकारी सेवकों को अनुमन्य थी।

1- "क" वर्ग के नगरों से भिन्न प्रदेश के अन्य पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले शासकीय सेवक साधारण दर पर अनुमन्य दैनिक भत्ता के ऊपर 25 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार होंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा भत्ता नियमों के अधीन अन्यथा अनुमन्य हो।

2- प्रदेश के पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले सरकारी सेवक अनुमन्य रोड किलोमीटर भत्ता की दरों में 33-1/3 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार होंगे।

3- जब पी०ए०सी०/पुलिस दल के सदस्य विशेष अभियान के संदर्भ में वास्तविक भिड़न्त इत्यादि के लिए अपने अस्थायी पड़ाव (बेस कैम्प) से क्षेत्र में जायें, जैसे एन्टी डक्वायटी अभियान में बेस कैम्प से बीहड़ क्षेत्र में डकैतों का पीछा करते हुए जायें, तो उन्हें उस अवधि के लिए नियमानुसार अनुमन्य दैनिक भत्ता की दर से दुगुनी दर पर दैनिक भत्ता ग्राह्य होगा।

4- महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद/लखनऊ तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ के लिए सरकारी दौरे पर जाने वाले सरकारी सेवकों को नियमानुसार अनुमन्य दैनिक भत्ते के अलावा प्रतिदिन 10 रुपये की धनराशि अतिरिक्त दैनिक भत्ते के रूप में अनुमन्य है।

उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 11 जून, 1999 के जारी होने के पश्चात् शासन को कतिपय संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें यह जिज्ञासायें की गयी हैं कि क्या कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-395/दस-99, दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा यात्रा भत्ता की दरों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप उक्त सुविधायें समाप्त हो गई हैं क्योंकि उक्त कार्यालय-ज्ञाप में इन सुविधाओं को जारी रखने या समाप्त करने के संबंध में कोई निर्देश निहित नहीं है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सभी सुविधायें पूर्व की भांति सरकारी सेवकों को यथावत् अनुमन्य रहेंगी।

शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव।

19

संख्या-सा-4-632/दस-2000-604/82 टी०सी०

प्रेषक,
श्री वी०के० शर्मा
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
[लखनऊ : दिनांक 5 सितम्बर, 2000

विषय : सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-सा-4-670/दस-99-604/82 टी०सी०, दिनांक 11 जनवरी, 2000 के संशोधित प्रस्तर-1 में यह व्यवस्था है कि अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत सड़क यात्रा निवास स्थान से (यदि निवास स्थान रेलवे स्टेशन से न जुड़ा हो) निकटतम रेल हेड तक। तत्पश्चात् रेलमार्ग से गन्तव्य स्थान तक तथा यदि गन्तव्य स्थान रेल मार्ग से न जुड़ा हो तो गन्तव्य स्थान के निकटतम रेल हेड से गन्तव्य स्थान तक सड़क मार्ग यात्रा अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से की गई यात्रा अनुमन्य नहीं होगी। उक्त व्यवस्था के बाद भी ऐसे स्थानों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा दिये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं जो रेल/सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं तथा

जिसकी यात्रा जलयान अथवा वायुयान द्वारा ही की जा सकती है। इस संबंध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि अवकाश यात्रा सुविधा हेतु किसी भी स्थान के लिए वायुयान अथवा जलमार्ग से यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

2-इस संबंध में मुझसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित स्थान की यात्रा करने के पश्चात् कर्मचारी को अवकाश यात्रा उपभोग करने से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अवकाश यात्रा सुविधा में कन्याकुमारी जाता है तो उसे कन्याकुमारी के किसी होटल, लाज, रेस्ट्रां, टैक्सी अथवा स्थानीय ट्रेवेल एजेन्सी की रसीद अथवा तमिलनाडू परिवहन निगम की बस की टिकट (मूलरूप) में प्रस्तुत करना होगा।

3-इस सीमा तक पूर्व शासनादेशों को संशोधित माना जाएगा।

4-यह आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

भवदीय,
वी०के० शर्मा
सचिव।

20

स्थायी मासिक भत्ता की दरों का पुनरीक्षण

संख्या : सा-2-686/दस-306/2002

प्रेषक,
श्री आनन्द मिश्र
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

सेवा में,
(1) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
(2) शासन के समस्त विशेष सचिव/प्रमुख सचिव।
[लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2002

विषय : वेतन समिति (1997-99) के नवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (1997–99) के नवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर लिये गये निर्णयानुसार महामहिम श्री राज्यपाल सरकारी सेवकों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-3 के नियम-38(1) के अधीन पूर्व से अनुमन्य स्थायी मासिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से निम्न प्रकार पुनरीक्षित दर से स्थायी मासिक भत्ते का भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

वर्तमान दर (रु० प्रतिमास)		पुनरीक्षित दर (रु० प्रतिमास)	
मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र	उ०प्र० के पर्वतीय क्षेत्र
30 तक	35 तक	50	75
30 से अधिक 50 तक	35 से अधिक 60 तक	100	125
50 से अधिक 85 तक	60 से अधिक 105 तक	150	200
85 से अधिक	105 से अधिक	200	250

2. स्थायी मासिक भत्ता की अनुमन्यता हेतु वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अंतर्गत निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे, साथ ही स्थायी मासिक भत्ता की अनुमन्यता के विषय में विभाग यह देख लें कि प्रत्येक माह में कम से कम 20 दिन की यात्रा संबंधित कर्मचारी द्वारा की गई हो।

Scanned with OKEN Scanner